संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र.

क्रमांक / अस्प.प्रशा. / 2013 / 805 भोपाल, दिनांक 25/06/13 / / 2013

प्रति,

1.समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2.समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्यप्रदेश।

विषयः–चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं की कार्य व्यवस्थाओं में सुधार के संबंध में ।

—00—

जिलों में भ्रमण के दौरान चिकित्सालयों व चिकित्सा संस्थाओं की व्यवस्थाओं में कुछ कमियाँ परिलक्षित हुई हैं। इन कमियों में तत्काल सुधार लाया जाना आवश्यक है–

1) कुछ चिकित्सा संस्थाओं में एक्स–रे के लिये शुल्क लिया जा रहा है अथवा पैथोलॉजी जाँच के लिये सिरिंज मरीजों से मंगाई जा रही हैं। इस संबंध में पूर्व में भी स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। एक्स–रे अथवा अन्य जाँचों के लिये रोगी से कोई शुल्क न लिया जाये तथा रोगी से कोई दवा अथवा सिरिंज आदि बाजार से न मंगाई जाये। इसके लिये आवश्यक सामग्री स्टोर में उपलब्ध रहे।
2) बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेंट व हेण्डलिंग) नियमों का सख्ती से पालन किया जाये। चिकित्सालय के वेस्ट का नियमानुसार सेग्रीगेशन कर निष्पादन किया जाये। इसके लिये चिकित्सालय के चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड ब्वाय व सफाई कर्मियों को हर दो–तीन महिने में उन्मुखिकरण किया जाये। बायो मेडिकल वेस्ट का निष्पादन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निर्धारित ऐजेन्सी से ही कराया जाये।
3) चिकित्सालयों की साफ–सफाई व सुरक्षा के लिये संचालनालय से जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करें। चिकित्सालयों में उपलब्ध शैयाओं के आधार पर सफाई व सुरक्षा कर्मियों की संख्या में काफी वृद्धि की गई है। चिकित्सालयों की साफ–सफाई निजी चिकित्सालयों के समान ही होनी चाहिये तथा इसके लिये लगातार पर्यवेक्षण व निरिक्षण किया जाये।
4) चिकित्सालयों के आकस्मिक चिकित्सा कक्ष, लेबर रूम, ऑपरेशन थियेटर तथा मेटरनिटि वार्ड में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये तथा प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाये।
5) वार्डों में गर्मी के मौसम में कूलर लगाये जाते हैं। गर्मी का मौसम समाप्त हो गया है। सभी कूलरों की साफ–सफाई करायें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनमें पानी जमा न रहे अन्यथा कूलरों में जमा पानी डेंगू के मच्छरों के प्रजनन के स्रोत बनते हैं।

(डॉ.के.के.ठस्सू)
संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल,मध्यप्रदेश

o/c

क्रमांक / अस्प.प्रशा. / 2013 / 806 भोपाल, दिनांक 25/06/ 13

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल।
3) मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स,, भोपाल।